फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एडवोकेट मन्जुर खान, चेम्बर नं. 20 जिला एवं सत्र न्यायालय उदयपुर

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 21/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 24.06.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के पत्रांक प. 1( )सू0अ0,05/2019/416–17 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/ अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2019 का सूचना का अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 27.02.2019 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना **श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमन्द** की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांकःप.1( )सू0अ0,05/2019/188–89 दिनांक 27.02.2019 को प्रेषित गया तथा प्रार्थी को भी सूचित किया गया। प्रार्थी अपीलार्थी के आवेदन पत्र को जिस दिन कार्यालय/अनुभाग को प्राप्त हुआ आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर चाही गई सूचना अन्य विभाग की होने से उसी दिन संबंधित विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(I)(II) के तहत अन्तरण कर भिजवाया गया तथा प्रार्थी अपीलार्थी को भी अन्तरण पत्र की प्रति से सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्टानुसार चाही गई वांछित सूचना **श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमन्द** से संबंधित होने से प्रकरण लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर राजसमन्द के द्वारा अन्तरित किया जाकर अपीलार्थी को जरिये डाक के पते पर सूचित किया जा चुका है। साथ ही प्रार्थी अपीलार्थी को सूचित किया जाता है की **श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमन्द** की प्रथम अपील सुनने का श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं होने से अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर राजसमन्द व अपीलार्थी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमन्द	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)